7

प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र
एक परिचय

पूजा सिंह*

प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में सुधार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का मुख्य क्षेत्र रहा है जिसे देश भर में 2001 में कार्यान्वित किया गया था। बच्चों के अधिगम स्तरों को बेहतर बनाने के लिए नामांकन, प्रतिधारण और उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रारंभिक शिक्षा विभाग को प्रारंभिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005 ने शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता को सुस्पष्ट किया है। तदनुसार, *प्रारंभिक शिक्षा के यह गुणवत्ता आयाम स्थापित किए गए — आधारिक संरचना एवं सुविधाएँ, प्रबंधन एवं सामुदायिक सहयोग, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षक एवं शिक्षक की तत्परता, कक्षा चलन एवं प्रक्रिया, शिक्षार्थी का मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण तथा पर्यवेक्षण*। शिक्षा की गुणवत्ता के प्रबंधन में मोटेतौर पर प्रगति का सतत मूल्यांकन, सामर्थ्य एवं दुर्बलताओं का निर्धारण और विभिन्न स्तरों पर आवश्यकतानुसार निदानात्मक एवं सुधार के उपाय करने हेतु प्रावधान सम्मिलित हैं। अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण के सहजता से मापे जाने योग्य आयामों ने शैक्षिक आयोजकों और पर्यवेक्षकों का ध्यान आकृष्ट किया है। अधिगम एवं अधिगम परिस्थितियों के गुणवत्ता आयामों के अनुवीक्षण की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया है।

इन आयामों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के परामर्श से गुणवत्ता सूचकों का विकास किया गया जिन्होंने अधिगमन, प्रतिधारण और सफ़लता के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास और प्रगति की है। गुणवत्ता सूचकों के आधार पर पाँच अनुवीक्षण स्तरों को स्थापित किया गया जिसमें विद्यालय, समूह, खंड, जिला और राज्य स्तर सम्मिलित हैं। प्रारंभ में राज्यों, एनआईईपीए (अब न्यूपा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं टीएसजी, एडसिल के सहयोग से कुछ गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रारूपों का विकास किया गया था। सभी प्रारूपों पर कार्यशालाओं की एक शृंखला में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श एवं चर्चा की गई। कुल 14 प्रारूपों एवं 3 विश्लेषक पत्रकों को अंतिम

* *परामर्शदाता,* सर्वशिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

रूप दिया गया। इन गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रारूपों को 2005 में पूरे देश में पहली बार चलाया गया।

गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र के अंतर्गत सूचना प्रवाह

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विकसित अनुवीक्षण प्रणाली ने विद्यालय/समुदाय, संकुल, खंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय सभी स्तरों पर एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण पर विचार किया। यह अनुभव किया गया कि एक आत्मनिर्भर क्रियाशील प्रतिपुष्टि व्यवस्था तैयार करने हेतु विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुवीक्षण कार्यप्रणाली का विकास करना आवश्यक है। ऐसी प्रणाली न केवल कार्यक्रम की प्रगति का विश्लेषण करेगी अपितु प्रत्येक स्तर पर सुधारात्मक उपाय भी प्रदान करेगी। गुणवत्ता और प्रतिपुष्टि कार्यप्रणाली के प्रबंधन के स्तर नीचे दिए गए हैं।

गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्रों का क्रियान्वयन

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयारी की गई प्रणाली के अनुसार विद्यालय और समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा एकत्रित सूचना को संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक द्वारा प्रवाह और विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी के लिए समेकित एवं विश्लेषित किया जाता है। आँकडों को आगे खंड संसाधन केंद्र समन्वयक को प्रेषित किया गया जिसने उसे संकलित किया और उस पर विचार किया। गुणवत्ता संबंधी आँकड़ों को आगे जिला परियोजना अधिकारी (डीपीओ) और डाइट को भेजा गया। डीपीओ और डाइट अधिकारियों ने छात्रों की उपलब्धियों और शिक्षक एवं शिक्षक तैयारी, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री संबंधी क्षेत्रों में गिरावट का विश्लेषण किया और उनसे जिले के लिए उपचारी एवं मूल्यांकन योजना बनाना अपेक्षित था। डाइट से

सूचना के द्विपथ प्रवाह की व्यवस्था

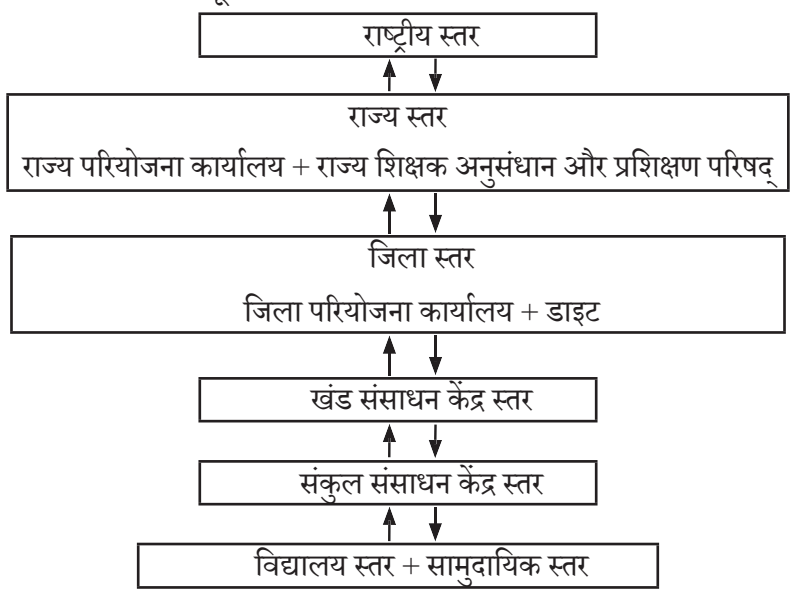

Chapters- PS-July2016.indd 37 22-08-2017 AM 10:01:02

डीपीओ को टिप्पणियाँ एवं सुझाव भेजना भी अपेक्षित था। डीपीओ ने इसके बाद सूचना का विश्लेषण किया और उसे राज्य परियोजना अधिकारी (एसपीओ) को भेज दिया। डाइट ने भी एस.सी.ई.आर.टी. को समीक्षा के लिए अपनी टिप्पणी भेजी। इस प्रकार विद्यालय से जिला स्तर तक कुल 3 प्रारूप तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक प्रपत्र को ऊपर अधिकारी तक भेजने की परिपाटी को इसमें एक नयी दिशा दी गई है। केवल ऐसी सूचनाएँ जिन पर कार्रवाई संबंधित स्तर पर की जानी संभव नहीं हो, उन्हें ही ऊपर स्तर पर भेजा जाना चाहिए। यथासंभव कार्रवाई संबंधित स्तर पर त्वरित रूप से की जानी चाहिए।

राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी जिलों से प्राप्त आँकड़ों पर विचार किया और समेकित आँकड़े एन.सी.ई.आर.टी. को भिजवाए गए। अनुवीक्षण आँकड़ों के विश्लेषण के उपरांत एन.सी.ई.आर.टी. ने गुणवत्ता वृद्धि एवं अनुवीक्षण कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए सुझावों सहित राज्य को प्रतिपुष्टि प्रदान की। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 2005 में प्रारंभ गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्रों के माध्यम से अनुवीक्षण प्रणाली प्रचलित रही।

गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्रों का परिशोधन

1 अप्रैल 2010 से देशभर में बच्चों को *नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009* (आरटीई) के कार्यान्वयन के साथ ही अनुवीक्षण प्रारूपों के परिशोधन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिक सार्थक बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। यह महसूस किया गया कि गुणवत्ता आयाम प्रपत्रों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि इन्हें अधिक उपयोगी एवं प्रासंगिक बनाया जा सके। इसी के दृष्टिगत एन.सी.ई.आर.टी. के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा *आर.टी.ई. अधिनियम — 2009* के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्रों को और सरल बनाने का प्रयास किया गया। इन प्रारूपों के सरलीकरण और *शिक्षा के अधिकार अधिनियम — 2009* की महत्वपूर्ण विशेषताओं के समावेशन के प्रयास किए गए। विभाग ने *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005*, *शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009*, *सर्वशिक्षा अभियान की रूपरेखा — 2011*, *शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के आदर्श नियम* और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में *गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र — 2005* के कार्यान्वयन में हुए अनुभव के संदर्भ में गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र पर पुनर्विचार किया। प्रपत्रों में गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न आयाम हैं — सभी बच्चों को प्रवेश, बच्चों की उपस्थिति,पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता (TLM), TLM अनुदान का उपभोग, विद्यालय प्रबंधन समिति की सहभागिता, विद्यालय विकास योजना (SDP), विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों का आयु विशेष कक्षा में प्रवेश, आयु विशेष कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों का विशेष प्रशिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किये गए प्रयास, जेंडर संवेदनशील वातावरण, बालहितैषी कक्षा वातावरण, सभी बच्चों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, बच्चों का विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग, शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का निषेध, पाठ्यचर्या का संचालन और संपूर्णता, सीखने का आकलन एवं शिक्षार्थी की

Chapters- PS-July2016.indd 38 22-08-2017 AM 10:01:02

संप्राप्ति, शिक्षक की स्थिति, शिक्षक विकास प्रणाली, आवश्यकतानुसार शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान, स्थल पर सहयोग प्रणाली, डाइट/बीआरसीसी/सीआरसीसी की भूमिका तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्रों के अंतर्गत पूर्व में 14 प्रपत्र एवं 3 विश्लेषण प्रपत्र थे। संशोधन के बाद अब 7 प्रपत्र हैं जिनका उपयोग विद्यालय, संकुल, खंड, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाना है।

अनुवीक्षण के स्तर

गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभिन्न स्तरों की पहचान की गई है जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

प्रपत्रों का विवरण

एक स्वचलित प्रतिपुष्टि व्यवस्था के लिए विभिन्न स्तरों पर, जैसे– विद्यालय /समुदाय स्तर पर, संकुल स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मॉनीटरिंग क्रियाविधि का विकास आवश्यक है। गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र की सूचना के लिए सबसे पहला स्तर विद्यालय है। विद्यालय/निचले स्तर से निर्धारित प्रपत्रों पर सूचनाओं को संकलित करते हुए अगले उच्च स्तर (संकुल) पर उपलब्ध होंगी, जहाँ निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना को संकलित करते हुए विश्लेषण किया जायेगा तथा तदनुसार आवश्यक प्रतिपुष्टि दी जाएगी साथ ही इस स्तर से विद्यालय स्तर तक आवश्यक सुधार के उपाय किये जाएँगे।

यह उम्मीद रखी जाती है कि विद्यालय स्तर पर एकत्रित जानकारी एवं समुदाय की संस्थाओं द्वारा संकलित सूचना को संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक (सी.आर.सी.सी.) समेकित करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही प्रत्येक शिक्षक भी अपने शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के आँकड़ों का विश्लेषण करेंगे ताकि वे अपने विद्यार्थियों के अधिगम और कार्य पर चिंतन कर सकें। सी.आर.सी.सी. उपस्थिति और मूल्यांकन के पूरे संकुल के आँकड़ों का संकलन कर इसका विश्लेषण करेंगे ताकि ज़रूरतों और रुझानों की पहचान हो सके। लेकिन सी.आर.सी.सी. का सीधा जुड़ाव कक्षा अवलोकन और उनके गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के साथ रहेगा। सी.आर.सी.सी. उपस्थिति एवं विद्यार्थियों

विभिन्न स्तरों पर उपयोग में लाये जाने वाले गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र

क्र.सं.	स्तर	गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र	संबंधित अधिकारी
1	विद्यालय	विद्यालय स्तरीय	प्रधान अध्यापक
		विद्यालय प्रबंधन समिति	विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष
2	संकुल	संकुल स्तरीय	संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक
		कक्षा कक्ष अवलोकन सूची	संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक
3	खंड	खंड स्तरीय	खंड संसाधन केंद्र समन्वयक
4	जिला	जिला स्तरीय	जिला परियोजना अधिकारी
5	राज्य	राज्य स्तरीय	राज्य परियोजना निदेशक

Chapters- PS-July2016.indd 39 22-08-2017 AM 10:01:02

के मूल्यांकन के आँकड़ों का विश्लेषण कर बी.आर.सी.सी. को भेजेंगे।

बी.आर.सी.सी. से यह उम्मीद रखी जाती है कि वह खंड स्तर पर पहुँचने वाली जानकारी और विश्लेषण का ध्यान से अध्ययन करेंगे और कुछ जानकारी खुद भी एकत्रित करेंगे। खंड स्तर के प्रपत्र में कुछ जानकारी ऐसी भी माँगी गई हैं जो संकुल स्तर के प्रपत्र में नहीं है। बी.आर.सी.सी. सारी जानकारी एवं सभी आँकड़ों को जिला परियोजना दफ़्तर एवं अपने क्षेत्र की डाइट को भेजेंगे।

यह उम्मीद की जाती है कि जिला परियोजना दफ़्तर में जो कार्यकर्ता हैं वे सभी खंडों से आने वाली जानकारी को एकत्रित करेंगे और उसका विश्लेषण करके उसे राज्य परियोजना अधिकारी और एस.सी.ई.आर.टी. के पास भेजेंगे। जिला परियोजना अधिकारी विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं उनके मूल्यांकन इत्यादि के आँकडों को भेजेंगे। बी.आर.सी.सी. द्वारा भरे गए मॉनीटरिंग प्रपत्रों को डाइट में भेजा जाए जो दी गई विशिष्ट उपलब्धियों एवं कमियों पर ध्यान देंगे। जिला स्तर का समूह इन बिंदुओं पर अपने जिले के लिए उपचारात्मक योजना भी बनाएगा। डाइट विश्लेषण कर अपना सुझाव जिला परियोजना अधिकारी को भेजेगा, जिनके दफ़्तर में सारी जानकारी को समेकित कर राज्य परियोजना अधिकारी को भेजा जाएगा। डाइट के कार्यकर्ता जिन क्षेत्रों को विशेष ध्यान के योग्य बताएँ उन पर जिला परियोजना अधिकारी, बी.आर.सी.सी. तथा सी.आर.सी.सी. समन्वयक भी विशेष ध्यान दें।

राज्य प्रत्येक तिमाही में एस.सी.ई.आर.टी. की मदद से शिक्षार्थी मूल्यांकन के आँकड़ों को समेकित करेंगे। राज्य परियोजना कार्यालय भी बच्चों के नामांकन और उनकी स्कूलों में वास्तविक उपस्थिति का विश्लेषण करेगा। राज्य ये आँकड़े राष्ट्रीय स्तर पर नहीं भेजेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर केवल विश्लेषण भेजा जाएगा।

गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के ये प्रपत्र उम्मीद रखते हैं कि राज्य और जिला परियोजना ऑफ़िस के लोग डाइट और एस.सी.ई.आर.टी. के साथ मज़बूत रिश्ता बना कर काम करेंगे । इन प्रपत्रों का मुख्य उद्देश्य तो ब्लॉक और जिला स्तर पर अकादमिक संसाधन को मज़बूत बनाना है जिससे कक्षायी प्रक्रियाओं और शिक्षार्थी मूल्यांकन में सुधार हो सके।

प्रभावी अनुवीक्षण हेतु अनिवार्य तत्व

- *अनुवीक्षण कार्यप्रणाली की विद्यमानता* — विद्यालय प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं यदि संकुल, खंड, जिला एवं राज्य स्तर पर आवश्यक अनुवीक्षण संरचना सहायता प्राप्त हो। खंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों के मध्य कार्य संयोजन के साथ डाइट और जिला स्तर संसाधन समूहों को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सशक्त बनाया जाना आवश्यक है।
- *अकादमिक समर्थन का संस्थानीकीकरण* — एस.एस.ए. एवं आर.टी.ई. के सफ़ल कार्यान्वयन के लिए नए विचारों एवं शिक्षण प्रयोगों के माध्यम से अकादमिक समर्थन के लिए पद्धतियों के सशक्तीकरण की बहुत आवश्यकता है। डाइट

Chapters- PS-July2016.indd 40 22-08-2017 AM 10:01:02

के संकाय वर्ग और जिला पदाधिकारियों द्वारा समर्थित संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक और खंड संसाधन केंद्र समन्वयक संबद्ध शिक्षकों को बेहतर ढंग से समर्थन कर सकते हैं। गुणवत्ता वृद्धि को प्रभावशाली बनाने और कक्षा प्रक्रियाओं में वांछित परिवर्तन लाने के लिए इस समर्थन का संस्थानीकीकरण होना चाहिए।

- *विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस. एम. सी.) का सशक्तीकरण* — सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुवीक्षण के माध्यम से उन सभी बच्चों की पहचान करना चाहिए जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो ताकि उनको नियमित विद्यालयों में अपने अनुकूल प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने में मदद की जा सके। विद्यालयों में अपेक्षित मूलभूत सुविधाओं के अनुवीक्षण के साथ ही सभी बच्चों को गुणकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की चुनौती का सामना करने के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को परम महत्त्व प्रदान करना आवश्यक है। विद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए विद्यालय प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण और सशक्तीकरण किया जाना आवश्यक है जिससे कि वे अपनी भूमिकाओं, कार्यों और उत्तरदायित्वों से भली-भाँति परिचित हों।

निष्कर्ष

गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र पूरकता के सिद्धांत पर आधारित हैं जिनमें सभी पक्षकारों– एस.एस.ए. पदधारी, एस.सी.ई.आर.टी./राज्य शिक्षा संस्थान एवं डाइट्स, डी.पी.ओ., बी.आर.सी.सी., सी.आर.सी.सी., शिक्षक और समुदाय के सदस्यों का सहयोग सुनिश्चित है। गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रपत्र का छमाही अथवा वार्षिक कार्यान्वयन और समय पर पाठ्यक्रम–मध्य के सुधारक उपायों के लिए प्रतिपुष्टि का उपयोग, आरटीई अधिनियम को कागज़ पर एक संवैधानिक रूपरेखा से सतही वास्तविकता की स्थिति में रूपांतरित करने में मूलभूत कदम होंगे।

Chapters- PS-July2016.indd 41 22-08-2017 AM 10:01:02